न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 01/2018

सायल	बनाम	गैरसायल
जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर		हरचन्दराम पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी माडपुरा बरवाला पुलिस थाना नागाणा जिला बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

उपस्थितः– 1. श्री दौलतराम, अभियोजन अधिकारी सायल की ओर से।
2. श्री नीम्बाराम चौधरी, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 26.11.2019

1. सायल की ओर से दिनांक 26.02.2018 को गैर सायल हरचन्दराम पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी माडपुरा बरवाला पुलिस थाना नागाणा जिला बाड़मेर के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अर्न्तगत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल बदमाश, खतरनाक व झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति है इसकी आपराधिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढती जा रही है जिस पर अंकुश लगाना निहायत ही जरुरी है। उक्त शक्स अभ्यासिक रूप से आमजन के खिलाफ अपनो के साथ मिलकर दंगा करने, डरा धमकाकर आमजन के साथ मारपीट करने तथा गवाहों को धमकाकर स्वंय के खिलाफ कोई गवाही या रिपोर्ट करने से दूर रखता हैं, जिससे पुलिस थाना नागाणा, बाड़मेर व इसके आस–पास के क्षेत्रों मे इसका आम लोगों मे आतंक हैं। उक्त शक्स गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2ख(1)(8) की परिभाषित श्रेणी में आता है। इसके विरूद्ध निम्न मुकदमे दर्ज होकर निस्तारित हुए है–

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

क्र. सं.	मु. न. व दिनांक	धारा	पुलिस थना	चालान नं. व दिनांक	निर्णय अदालत
1	334/16.9.13	143, 365, 323, 384 व 394 भादसं	कोतवाली बाड़मेर	182/07.10.13	निर्णय दिनांक 17.10.13 जरिये राजीनामा बरी
2	120/25.10.14	341, 323, 147, 148, 427, 327, 394, 504 भादसं	नागाणा	86/30.11.14	विचाराधीन
3	121/25.10.15	341, 323, 147, 327, 149 भादसं	नागाणा	76/31.10.14	विचाराधीन
4	60/07.02.15	452, 427/34 भादसं	कोतवाली बाड़मेर	28/28.02.15	विचाराधीन
5	68/01.09.17	341, 323/34 भादसं	नागाणा	62/16.10.17	विचाराधीन
6	150/19.10.17	147, 148, 307, 302, 427/149 भादसं	बाड़मेर ग्रामीण	02/19.01.18	विचाराधीन

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को बाड़मेर जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का निवेदन किया।

2. हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी किया। गैर सायल ने दिनांक 22.07.2019 को नोटिस का जवाब पेश कर जाहिर किया कि गैर सायल किसी भी गिरोह का सदस्य नहीं है तथा न ही किसी गिरोह के मुखिया के रूप मे अपराध करने का अभ्यस्त हैं। गैर सायल के विरूद्ध सायल द्वारा उल्लेखित प्रकरणों मे से चार प्रकरण विचाराधीन हैं तथा दो प्रकरण जरिये राजीनामा निस्तारित होकर गैर सालय को बरी किया गया हैं। वर्तमान में गैर सायल के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण गम्भीर प्रकृति के नहीं हैं तथा वर्ष 2017 के बाद गैर सायल के विरूद्ध कोई निर्णय पारित नहीं हुआ हैं तथा न ही कोई प्रकरण दर्ज हुआ हैं। इस आधार पर विचाराधीन प्रकरण जब तक निस्तारित नहीं हो जाते हैं गैर सायल को दोषी नहीं माना जा सकता हैं। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध एकदम झूठा व नाहक परेशान करने की नीयत से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया हैं तथा अगर पुलिस द्वारा ऐसे झूठे प्रकरणों में फंसाया गया तो इससे विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा एक युवा नौजवान का भविष्य समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार गैर

अपर जिला मजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.) बाड़मेर

सायल की कोई भी गतिविधि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख) की उप धारा 7 व 8 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। अतः गैर सायल के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमाई जाए।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी एंव न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विद्वान अभियोजन अधिकारी बाड़मेर का यह तर्क है कि गैर सायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के 06 अपराध दर्ज हुए है तथा गैर सायल बदमाश एवं झगड़ालु प्रवृति का व्यक्ति हैं जिसका पुलिस थाना नागाणा, बाड़मेर एवं आसपास के क्षेत्रों में आंतक होने से आमजन भयभीत हैं। अभियोजन अधिकारी के तर्को का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता गैर सायल का तर्क है कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरूद्ध 02 प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से जरिये राजीनामा निस्तारित होकर बरी किया गया है, इसके अलावा 04 प्रकरण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसके लिए गैर सायल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता हैं। इसलिये गैर सायल के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जाए।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि गैर सायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का आरोप है राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 2ख के खण्ड (viii) के अनुसार ''जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चन्दे का संग्रहण करने का या जो अपने या अन्य के अवैध आर्थिक फायदे के लिये लोगों को धमकी देने का अभ्यासी हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति को संत्रास, खतरा या नुकसान करने का अभ्यासी हो तो ही उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत परिवाद अनुसार गैर सायल के विरूद्ध 06 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर 01 प्रकरण मे जरिये राजीनामा बरी हुआ हैं तथा शेष 05 प्रकरण सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन हैं। इस प्रकार गैर सायल के विरूद्ध किसी भी प्रकरण में अपराध की दोषसिद्धी नहीं हुई हैं एवं सायल की ओर से गैर सायल के

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

विरूद्ध वर्ष 2017 के बाद भारतीय दण्ड सहिंता अथवा अन्य अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर गैर सायल के विरूद्ध आरोपित, आरोप अधिनियम धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (viii) एवं स्पष्टीकरण में वर्णित अनुसार दोनों स्थितियां विधमान होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासित किये जाने का कोई सबूत प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरूद्ध जारी नोटिस धारा 3(1) खारिज किया जाता है।

5. निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमा शर्मा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.) बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Date: 2019.11.28 17:11:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: